न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 08/2017 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. दयाचन्द पुत्र भूरसिंह जाति माली निवासी ग्राम खेड़ी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 07.11.2017

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दि0 05.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दि0 20.09.2016 जिसके तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम खेड़ी तहसील रामगढ़ की सरकारी भूमि आराजी ख0 नं0 1 रकबा 2.00 है0 गै0मु0 चाही–2 में से 1.77 है0 से बेदखल करने व शास्ती कायम करने व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 05.05.2017 को अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 05.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए कथन किया कि तहत अदालत ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है । बहस में आगे कहा कि तहसीलदार द्वारा अपीलांट को

जो नोटिस दिया गया है उसका अवलोकन कराया जिसमें कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि अपीलांट ने उक्त आराजी पर पूर्व में कभी अतिक्रमण किया हो और उसके विरूद्ध कभी धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई हो । कानूनन पहली बार अतिक्रमी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जाना चाहिए ।

बहस में ये भी कहा कि अधीनस्थ न्ययालय ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया । तहसीलदार ने जो नोटिस जारी किया है उसमें कहीं भी अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं माना है । पटवारी हल्का के जो बयान है वो साईक्लोस्टाईल है, लिखित में नहीं हैं जबकि साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान है कि बयान जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं । पटवारी के बयान से जिरह नहीं की गई है ।

बहस में आगे कहा कि हमारे द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में इन्हीं बिन्दुओं को जो कानूनी रूप से नहीं है उनको भी उठाया गया है परन्तु उनका प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई फाईडिंग नहीं दी और हमारी अपील को गलत रूप से खारिज कर दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जावें जो पैनल्टी लगायी है उसे माफ किया जावें ।

विद्धान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब में कथन किया कि अपीलांट ने कब्जा करके फसल बोयी है । उसके आधार पर धारा 91 एल.आर.एक्ट में कार्यवाही की है जो सही है और तहसीलदार ने सही निर्णय सुनाया है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी सही निर्णय सुनाया है । अपीलांट ने बाद तक भी कोई अतिक्रमण नहीं हटाया है । अतः अपील खारिज की जावें ।

पुनः अभिभाषक अपीलांट ने जवाब उल जवाब में कहा कि वर्तमान में कोई कब्जा व अतिक्रमण नहीं है जो रिपोर्ट कब्जे काश्त अपीलीय न्यायालय के तर्क में पैरोकार / तहसीलदार ने कहा है उसके संबंध में कहना है कि ये फसल तो जब बुवाई हुई और धारा 91 का निर्णय किया, वहीं है । अतिरिक्त रूप से कोई फसल नहीं बोयी है । पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं है । अतः सजा माफ की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 20.9.2016 व प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दि0 5.5.2017 का अवलोकन किया गया ।

तहसीलदार रामगढ़ की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस में विवादित आराजी ख0 नं0 1 के रकबा 1.77 है0 के संबंध में फसल बोने व कब्जे की रिपोर्ट है परन्तु इसमें कोई पूर्व के किसी अतिक्रमण या धारा 91 की रिपोर्ट का हवाला नहीं है । बयान पटवारी साइक्लोस्टाईल है जिसमें भी पूर्व के किसी अतिक्रमण या धारा 91 की कार्यवाही का विवरण का रेकार्ड से हवाला नहीं है । साथ ही आदेशिका दि0 31.8.2016 व 20.9.2016 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है । पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होने के संबंध में कोई रेकार्ड व दस्तावेज पेश नहीं है । इस संबंध में अपीलांट की ओर से कानूनी नजीरों आर.आर.डी. 1996 पेज 585 व 481 तथा आर.आर.डी. 2001 पेज 401 की नजीरों का भी अवलोकन किया गया । पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं होने से व प्रथम बार कब्जा

7/11/17

करने पर अपीलांट के विरूद्ध सिविल कारावास की सजा स्थगित किया जाना उचित है तथा जो पैनल्टी जारी की गई है उसे राजकोष में जमा कराया जाना उचित है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दि0 05.05.2017 व तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 20.09.2016 सजा की सीमा तक निरस्त किये जाते है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 7.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर